राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिलाधिकारी रमाकांत पाण्डेय द्वारा 987 वाद सहित जिला प्रशासन के अधीनस्थ अदालतों द्वारा विभिन्न 32430 वादों के सापेक्ष कुल 8288 वादों का किया गया निस्तारण, सबसे अधिक प्रीलिटिगेशन के 7678 वाद हुए निस्तारित

बिजनौर 12 दिसम्बर,2020:– जिलाधिकारी रमाकान्त पाण्डेय द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा 987 वादों का निस्तारण किया गया जबकि जिला प्रशासन के अधीनस्थ अदालतों में उपरोक्त सहित कुल 7678 विभिन्न वादों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर उनकी अदालत में राजस्व संहिता के 09 तथा फौजदारी अधिनियम के 03 वाद प्रस्तुत किए गए, जिनमें सभी का निस्तारण कर दिया गया, जबकि प्रीलिटिगेशन के प्रस्तुत 1183 वादों के सापेक्ष 975 वाद निस्तारित किए गए।

श्री रमाकांत पाण्डेय ने बताया कि जिला प्रशासन के अंतर्गत अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत के मौक़े पर भूराजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत 25 वादों के सापेक्ष 08, राजस्व संहिता से संबंधित 227 के सापेक्ष 209, स्टाम्प अधिनियम के प्रस्तुत 06 के सापेक्ष 06, फोजदारी अधिनियम 387 के सापेक्ष शत प्रतिशत जबकि प्रीलिटिगेशन के 31,785 वाद के सापेक्ष कुल 7678 वादों का निस्तारण किया गया।

वाद्कारियों का हित